

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1854  
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए  
मंत्रिमंडल और विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

**1854. प्रो. सौगत राय:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राज्य मंत्रिमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;  
(ख) देश में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;  
(ग) देश में राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;  
(घ) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और  
(ङ.) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के पद पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 1957 में 3% से बढ़कर 2024 में 10% हो गई है। निर्वाचित महिला सदस्यों की कुल संख्या पहली लोक सभा में 22 और दूसरी लोक सभा में 27 थी, जो 17 वीं लोक सभा में बढ़कर 78 और 18 वीं लोक सभा में 75 हो गई है (जो कुल सदस्यों का लगभग 14% है)। राज्यसभा में भी, 1952 में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जो वर्तमान में 39 है। यह कुल सदस्यों का लगभग 17% है। इसके अतिरिक्त, देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। देश में ऐसे 21 राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण के संवैधानिक अधिदेश की तुलना में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

"संविधान (106वां) संशोधन, 2023" का अधिनियमन, जिसे "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" भी कहा जाता है, भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कानून है, जो महिलाओं के नेतृत्व में विकास हेतु सरकार के व्यापक

लक्ष्य के अनुरूप अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रणाली बनाने के लिए है। यह कानून लोक सभा और देश भर में राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य करता है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधायिका शामिल है।

भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से भी एक है, जहां एक महिला देश की बागडोर संभाल रही है। यह एक असाधारण उपलब्धि है क्योंकि दुनिया भर के देशों में इस तरह के उच्च संवैधानिक पद पर महिलाएं हों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।

(घ): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, सभी सीपीएसई के बोर्ड के कुल 521 कार्यरत निदेशकों में से 39 महिला निदेशक कार्यरत हैं।

(ड.): देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के पद पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	पदस्थ	पुरुष	महिला
1	अध्यक्ष, एसबीआई	1	1	1	0
2	प्रबंध निदेशक, एसबीआई	4	3	3	0
3	एमडी और सीईओ, राष्ट्रीयकृत बैंक	11	11	10	1

\*\*\*\*\*